

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
परिव्यय और निष्कर्ष/लक्ष्यों का विवरण:- वार्षिक योजना 2005-06

| क्र० सं० | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य | परिव्यय 2005-06 (करोड़ रूपए) | परिमाणनीय सुपुर्दगी योग्य | प्रक्रियाएं/समय सीमा | अभियुक्तियां/ जोखिम के कारण |
|----------|---|---|------------------------------|---|---|-----------------------------|
| 1. | गोदामों का निर्माण | सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता को बढ़ाना | 14.45 | 1. सिक्किम सहित उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 39580 टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन 2. अन्य राज्यों में वर्ष 2004-05 में सृजित 96940 टन की क्षमता के प्रति 10.31 करोड़ रूपए जारी करना | | |
| 2. | खाद्यान्न प्रबंधनों के लिए समेकित सूचना प्रणाली | भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक का बेहतर वस्तुसूची प्रबंधन | 43.02 | 632 डिपुओं के साथ 92 जिला कार्यालयों को जोड़ने करने के लिए एम0आई0एस0 के साथ जोड़ना | | |
| 3. | ग्रामीण अनाज बैंक योजना | ग्राम स्तर पर खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना | 32.50 | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 525 तथा अन्य राज्यों में 4719 अनाज बैंकों की स्थापना करना (योग: 5244) | संशोधित योजना के लिए मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए जाने हैं, गांवों की पहचान की जानी है। | |
| 4. | प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा मानीटरिंग | मूल्यांकन तथा क्षमता निर्माण | 0.60 | सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सही-सही संख्या अभी तय नहीं की गई है। | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------|--|--|--|
| 5. | अनुसंधान तथा विकास और वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय की प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण | गुणवत्ता का उन्नयन | 0.40 | निधियां उपलब्ध होने पर चल रही 4 अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को पूरा करना तथा अन्य अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर तथा नई परियोजनाओं पर कार्य करना। | | |
| 6. | राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर | प्रयोगशाला तथा कार्यालय का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी का उन्नयन | 1.50 | वाटर-ग्रिड को बदलना, कार्यालय भवन की मरम्मत तथा नवीकरण, प्रयोगशाला उपकरण को बदलना तथा आधुनिकीकरण करना। | | |
| 7. | तकनीकी अध्ययन और परामर्शी सेवाएं | चीनी उद्योग पर डाटाबेस तैयार करना तथा क्षमता निर्माण करना | 0.15 | एक रिपोर्ट को अंतिम रूप देना, सेमिनार तथा सम्मेलन आयोजित करना - संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है। | | |
| 8. | फूड क्रेडिट कार्ड | परिवारों के प्रामाणिक तथा मानकीकृत डाटाबेस को कम्प्यूटरीकृत करना तथा स्मार्ट राशनकार्ड जारी करना | 1.25 | डाटाबेस को पूरा करना तथा तीन चुनिंदा जिलों (विदिशा, कांगड़ा तथा एर्नाकुलम) में स्मार्ट कार्ड जारी करना। | | |
| | जोड़ | | 93.87 | | | |

आई0ई0बी0आर0 योजनाएं

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|---|--|--|
| 1. | केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा भंडागारों/गोदामों का निर्माण | खाद्यान्नों के लिए भंडारण क्षमता में वृद्धि | 61.68 | महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में 8.80 करोड़ रूपए की भूमि की खरीद और 54.88 करोड़ रूपए की लागत से 2.57 लाख टन के लिए भंडारण सुविधाओं का निर्माण | | |
| 2. | राज्य भंडागारण निगमों के प्रति अंशदान | केन्द्रीय सहायता देकर राज्य भंडागारण निगमों की वित्तीय व्यवहार्यता में वृद्धि करना | 1.50 | केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा राज्य भंडागारण निगमों को राज्य सरकारों के 50% अंशदान के बराबर अंशदान | | राज्य सरकारों द्वारा उनकी 50% हिस्सेदारी जारी करने के अध्यक्षीन केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा समान अंशदान रिलीज करना |
| | जोड़ | | 63.18 | | | |
| | कुल जोड़ | | 157.06 | | | |